प्रेस नोट संख्या- 14
दिनांक 08.02.2025
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 बकरियां व 01 बकरा तथा चोरी के बकरों की ब्रिकी से प्राप्त 21000 रुपये नकद बरामद।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.02.2025 को उ0नि0 विजय नारायण पाण्डेय थाना मोहनगंज मय हमराह क्षेत्र की देखभाल व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाक्षेत्र में मौजूद थे तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 04 दिन पहले ग्राम लोधवरिया से चोरी हुई बकरियों को कुछ लोग मो0 रफीक के बंद पड़े भट्ठे में बांधे हुए हैं। उक्त सूचना पर थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंच कर देखा गया तो भट्ठे के अंदर 02 व्यक्ति मौजूद हैं एवं पास में 02 बकरियां व 01 बकरा बंधा हुआ है। दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम इबरार उर्फ बहरू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम खैरहना थाना महराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 50 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम इमरान पुत्र इबरार उर्फ बहरू निवासी ग्राम खैरहना थाना महराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 28 वर्ष बताया। तलाशी लेने पर इबरार उर्फ बहरू उपरोक्त के कब्जे से 11 हजार रुपये व इमरान उपरोक्त के कब्जे से 10 हजार रुपये बरामद हुए। बरामद रुपये के संबंध में दोनों व्यक्तियों ने बताया कि हम दोनों लोगों ने अपने 02 अन्य साथी 1.अरबाज पुत्र बादशाह निवासी दिलावरगढ़ थाना इन्हौना जनपद अमेठी व 2.सद्दाम पुत्र इबरार उर्फ बहरू निवासी ग्राम खैरहना थाना महराजगंज जनपद रायबरेली के साथ मिलकर 04 दिन पहले ग्राम लोधवरिया से 08 बकरे व 01 बकरी चोरी किया था जिन्हें 48 हजार रुपये में बेंच दिया था तथा प्राप्त रुपये को आपस में बांट लिया था, बरामद रुपये उसी चोरी की बिक्री के बचे हुए रुपये हैं। पास में बंधी 02 बकरी व 01 बकरे के संबंध में पूछने पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि यह बकरियां आज रात में ग्राम कोंची से चुराई हैं जिन्हें बेचने के लिये हम दोनों लोग यहां मौजूद हैं, सद्दाम व सहजाद ग्राहक ढूंढने गये हैं। इमरान उपरोक्त के कब्जे से प्राप्त एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट बिना नं0 प्लेट के कागज मांगने पर दिखा न सका। थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को मौके से ही समय करीब 03:46 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. इबरार उर्फ बहरू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम खैरहना थाना महराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 50 वर्ष।
2. इमरान पुत्र इबरार उर्फ बहरू निवासी ग्राम खैरहना थाना महराजगंज जनपद रायबरेली उम्र 28 वर्ष।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 32/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 34/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
3. मोटर साइकिल (टीवीएस स्पोर्ट) बिना नंबर प्लेट (धारा 207 एमवी एक्ट)।

बरामदगी-

1. चोरी की 02 बकरियां व 01 बकरा।
2. चोरी के बकरों की बिक्री से प्राप्त 21000/- रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विजय नारायण पाण्डेय थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 लक्ष्मण सिंह चन्देल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 अनिल सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
4. का0 रिनित कुमार थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
5. का0 फईम अली थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
6. का0 अरुण कुमार यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी .
7. का0 सुरेन्द्र पाल थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
8. का0 राशिद थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त इबरार उर्फ बहरू-

1. मु0अ0सं0 117/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 246/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

अभियुक्त इमरान-

1. मु0अ0सं0 618/19 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0 732/19 धारा 3/8 गौवध निवा0 अधि0 व 201, 278, 285, 435 भादवि थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
3. मु0अ0सं0 770/19 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
4. मु0अ0सं0 103/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
5. मु0अ0सं0 551/22 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 व 295 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली।
6. मु0अ0सं0 553/22 धारा 307 भादिव थाना भदोखर जनपद रायबरेली।
7. मु0अ0सं0 554/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भदोखर जनपद रायबरेली।
8. मु0अ0सं0 42/23 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
9. मु0अ0सं0 19/23 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
10. मु0अ0सं0 132/23 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना बछरांवा जनपद रायबरेली।
11. मु0अ0सं0 194/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भदोखर जनपद रायबरेली।